प्रेस नोट **06/08/2024**

आज दिनांक 06.08.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मऊ में दो दिवसीय चलने वाले वाराणसी जोन के अन्तरजनपदीय जोनल पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वाराणसी जोन के 08 जनपदों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज खेले गये मैचों में वाराणसी बनाम गाजीपुर में वाराणसी, मिर्जापुर बनाम जौनपुर में मिर्जापुर, आजमगढ बनाम बलिया में आजमगढ, मऊ बनाम भदोही में मऊ विजेता हुये। जिसका सेमीफानइल व फाइनल मैच कल दिनांक 07.08.2024 को खेला जाएगा। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रतिसार निरीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

02 वांछित तथा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर शमशाबाद सर्विस रोड़ के पास से मु0अ0सं0 142/24 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व धारा 11 पशू क्रुरता नि0 अधि0 में वांछित अभियुक्त अतउल्लाह पुत्र कल्लन उर्फ कलिमुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ, कोपागंज पुलिस द्वारा बसारतपुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 196/24 धारा 328, 304 भादवि में वांछित अभियुक्त सतिराम पुत्र मिट्ठू निवासी पारा थाना कोपागंज साथ ही साथ कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण लालू पुत्र कल्पदेव, बृजनाथ पुत्र चतुरी राजभर, बेचू पुत्र अलगू निवासीगण लिलारी भरौली थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्ता को 03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व ₹2,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 06-08-2024 को मु0अ0सं0 310/2019 धारा 366,376,504,506 भादवि0 व 3(1)द, 3(2)5 एससी/एसटी थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्ता सरिता चौहान पत्नी बाबूलाल चौहान निवासी खंडेरायपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सत्येन्द्र राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।